

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर
पत्रांक 1485 /2-6, दिनांक, गोरखपुर, दिसम्बर 26/2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय-

जनपद देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोल कारपो० लि० द्वारा देवरिया-कसया मार्ग एच०एच०-79 के किमी० 14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या- 908, ग्राम-कोन्हवलियों, पो०-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक प्रभावित 0.075028 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ-
महोदय,

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया का पत्रांक- 1384/2-6, दि० 04.12.2023

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया ने अपने पत्रांक-1384/2-6, दि० 04.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त प्रस्ताव में इंगित कमियों/त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया द्वारा प्राप्त संशोधित प्रस्ताव का परीक्षण कर मूल में एत्सह संलग्न कर तीन प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

संख्या- अ/ दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 1384/2-6 दिनांक, देवरिया, दिसम्बर 04 / 2023
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :-

जनपद-देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस0एच0-79) के कि0मी0 सं0-14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं0-908, ग्राम-कोन्हवलियों, पो0-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया के प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :-


मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1353/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/145661/2021 दिनांक 29.11.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है:-

क0सं0	बिन्दु	उत्तरालेख
1	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया व मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट 10 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करनी होगी।	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया व मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक-1) ।
2	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत कार्यवाही करेंगे।	विषयगत प्रकरण में बिना स्वीकृति का वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया गया है। जो वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन है। इसमें भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-33 के अन्तर्गत एच-2 केस जारी कर विधिक कार्यवाही की जा चुकी है। भारत सरकार के पत्र सं0-F.No. 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 जमा कराने हेतु बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है।

भवदीय


(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



07.12.2023

मु००००००

(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 30.11.2023 को मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर व प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित देवरिया-कसया मार्ग (एस0एच0-79) के कि0मी0 14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं0-908, ग्राम कोन्हवलियों पो0-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एप्रोच रोड का उपयोग बिना भारत सरकार की स्वीकृति के गैर वानिकी प्रयोग किया गया है, उक्त वन भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। प्रस्ताव के पूर्ण अभिलेख को परीक्षण किया गया, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिनांक 08.07.2022 को पेट्रोल पम्प संचालित किया गया है। पूर्व में प्रेषित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 15.11.2021 जो प्रभागीय निदेशक व प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया तत्समय पेट्रोल पम्प संचालन में नहीं था उसके बाद दिनांक 08.07.2022 को प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा पेट्रोल पम्प का संचालन प्रारम्भ किया गया तथा वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया गया है। जिसमें जिलाधिकारी द्वारा पत्रांक 867/शस्त्र-2021 दिनांक 22.04.2021 द्वारा प्राप्त एन0ओ0सी0 के आधार पर पेट्रोल पम्प का संचालन किया गया है। वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग बिना भारत सरकार के अनुमति के किया गया है जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है। जिसके क्रम में रेंज केस सं0-36/2022-23 दिनांक 14.12.2022 द्वारा भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-33 के तहत जारी करते हुए कार्यवाही की गयी जिसके क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा ई-3 संख्या-12943/41 दिनांक 01.06.2023 मु0 40,000.00 प्रतिकर की धनराशि जमा किया गया है। इसके अतिरिक्त दण्डात्मक एन0पी0वी0 जमा करने हेतु बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है, जो उच्च स्तर को प्रेषित किया गया है।

उक्त के क्रम में पुनः अवगत कराना है कि प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा पेट्रोल पम्प का संचालन किया गया है, परन्तु संरक्षित वन भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है।



(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया



(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक

गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 30.11.2023 को मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर व प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित देवरिया-कसया मार्ग (एस0एच0-79) के कि0मी0 14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं0-908, ग्राम कोन्हवलियों पो0-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एप्रोच रोड का उपयोग बिना भारत सरकार की स्वीकृति के गैर वानिकी प्रयोग किया गया है, उक्त वन भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। प्रस्ताव के पूर्ण अभिलेख को परीक्षण किया गया, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिनांक 08.07.2022 को पेट्रोल पम्प संचालित किया गया है। पूर्व में प्रेषित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 15.11.2021 जो प्रभागीय निदेशक व प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया तत्समय पेट्रोल पम्प संचालन में नहीं था उसके बाद दिनांक 08.07.2022 को प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा पेट्रोल पम्प का संचालन प्रारम्भ किया गया तथा वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया गया है। जिसमें जिलाधिकारी द्वारा पत्रांक 867/शस्त्र-2021 दिनांक 22.04.2021 द्वारा प्राप्त एन0ओ0सी0 के आधार पर पेट्रोल पम्प का संचालन किया गया है। वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग बिना भारत सरकार के अनुमति के किया गया है जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है। जिसके क्रम में रेंज केस सं0-36/2022-23 दिनांक 14.12.2022 द्वारा भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-33 के तहत जारी करते हुए कार्यवाही की गयी जिसके क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा ई-3 संख्या-12943/41 दिनांक 01.06.2023 मु0 40,000.00 प्रतिकर की धनराशि जमा किया गया है। इसके अतिरिक्त दण्डात्मक एन0पी0वी0 जमा करने हेतु बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गयी है, जो उच्च स्तर को प्रेषित किया गया है।

उक्त के क्रम में पुनः अवगत कराना है कि प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा पेट्रोल पम्प का संचालन किया गया है, परन्तु संरक्षित वन भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है।



(जगदीश ओर)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया



(भीम सैन)

मुख्य वन संरक्षक

गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर